न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रार्थना पत्र संख्याः–85/2024 जी.सी.एम.एस नं0 2024/37

1. छीतरमल पुत्र मांग्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–:प्रार्थीः–

बनाम्

1. बद्रीनारायण पुत्र धन्ना
2. सियाराम पुत्र नानगराम
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. सोनल सिंह पत्नी विरेन्द्र सिंह जाति धाकड़ निवासी 7524 जवाहर नगर जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. उप पंजियक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–:अप्रार्थीगणः–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांकः–29.01.2025

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 0.8219 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीरामपुरा प.ह. फाल्यावास भू.अ.नि. क्षेत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित चली आ रही है। जिस पर प्रार्थी का हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 एवं अप्रार्थी 2 का हिस्सा 1/4 तथा भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 2.4278 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीरामपुरा प.ह. फाल्यावास भू.अ.नि. क्षेत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थी का हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 7/192 एवं अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 41/192 है एवं इसी अनुसार वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के मध्य वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 95 रकबा 0.8219 है0 एवं खसरा नम्बर 104 रकबा 2.4278 हैक्टेयर का अभी तक वैधानिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने वादग्रस्त भूमि को आपसी सहमति से सरस नक्श के आधार पर हिस्से अनुसार बांट रखा है एवं अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रह पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपना 1/4 हिस्से की उत्तरी–पूर्वी सीमा से लगती भूमि की मिट्टी को ईट निर्मित करने हेतु विक्रय कर दिया है तथा ईट भट्टा भी प्रारम्भ कर दिया है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 भी वादग्रस्त भी शामलाती का बिना विभाजन करवाये विक्रय करने की कार्यवाही कर रहा है तथा प्रार्थी की कब्जे व हिस्से में चली आ रही भूमि को अपनी बताकर दीगर लोगों को विक्रय कर काबिज कराना चाहता है, जिसका की उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण के उक्त रवैये से प्रार्थी को दावा दायर कर वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विभाजन का दावा पेश कर वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से 1/2 की भूमि का वैधानिक विभाजन कराकर पर्चा, खातेदारी व लगान पृथक कायम कराना आवश्यक हुआ है।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 को ता फैसला वाद भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 95 रकबा 0.8219 है0 एवं खसरा नम्बर 104 रकबा 2.4278 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीरामपुरा प.ह. फाल्यावास भू.अ.नि. क्षेत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में किसी

उपखण्ड अधिकारी

प्रकार दखल न तो स्वयं करे व अन्य से करावे, न काश्त कार्य में बाध्य उत्पन्न करे, न ही वादग्रस्त भूमि के विधिवत विभाजन होने तक बेचान करे एवं न ही मिट्टी का दोहन करावे एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 डाक नोटिस के तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये तर्क किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 हिस्सेनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बिना विधिवत विभाजन करवाये उक्त वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार है:—

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>:— पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 0.8219 है0 एवं खसरा नम्बर 104 रकबा 2.4278 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीरामपुरा प.ह. फाल्यावास भू.अ.नि. क्षेत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होना स्पष्ट है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से सरस नरस के आधार पर हिस्से अनुसार बांट रखा है एवं अपने—अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रह पृथक—पृथक काश्त होना स्पष्ट होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षकारान के हक में सिद्ध होता है।
2. <u>सुविधा का संतुलन</u>:— आराजी मुतनाजा के प्रार्थी रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षों के हक में प्रमाणित है।
3. <u>अपूर्णनीय क्षति</u>:— चूंकि विवादित आराजी पर प्रार्थी की काबिज काश्त एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि दर्ज रिकॉर्डेड होकर आपसी सहमति से सरस नरस के आधार पर हिस्से अनुसार बांट रखा है। यदि प्रार्थी के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थी को अपने हक हकूकों से वंचित होना नहीं पड़ेगा तथा अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

उपरोक्त विवेचनानुसार के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

<u>अतः आदेश है कि:—</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया जाकर वाके ग्राम श्रीरामपुरा के आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 0.8219 है0 एवं खसरा नम्बर 104 रकबा 2.4278 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से सरस नरस के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर काबिज काश्त है, जिससे प्रार्थी के हक हकूक प्रभवित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला—जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते